न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 303 सन 2019

अनवान :–

1. दिनेश कुमार पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जोगेन्द्रसिह पुत्र प्रतापसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. राकेश कुमार पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. कमलेश पुत्री जोगेन्द्रसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
4. सन्तोष देवी पुत्री जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. गुरमुखी पुत्री जोगेन्द्रसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 9/9/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 एन.टी.आर. के खाता संख्या 81/57 के प0न0 373/427(26) किला न0 2/2 की 0.177 ,3/1 की 0.1900 , 4/2 की 0.2020 ,5/1 की 1.900 ,6/2 की 0.253 ,7 ता 9 ,0.759 ,12 ता 14/0.759 ,15 ता 17/0.759 ,19 ,19/0.506 ,22 ता 25/1.0120हैक्ट कुल 20 किता की 4.8070हैक्ट प0न0 372/428(30) के किला न0 13 ता 18/1.265 ,24 ,25/0.506 ,प0न0 373/428(31) किला न0 11 ता 13/0.759हैक्ट , 14 ता 16/0.759 ,17 ता 19/0.759 ,21 ,22/0.759 ,23 ता 25/00.759हैक्ट कुल किता 15 की 3.795हैक्ट प0न0 374/428(32) के किला न0 21/0.253 ,प0न0 374/428(52) किला न0 1 ,2/0.506 , प0न0 372/429(54) किला न0 4 ,5/0.506 हैक्ट कुल किता 48 की कुल 11.8910हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा प्रातपसिह पुत्र हरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा प्रातपसिह पुत्र हरचन्द का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा प्रतापसिह पुत्र हरचन्द के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बरावर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बरावर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता प्रतापसिह पुत्र हरचन्द के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 एन.टी.आर. के खाता संख्या 81/57 के प०न० 373/427(26) किला न० 2/2 की 0.177 ,3/1 की 0.1900 , 4/2 की 0.2020 ,5/1 की 1.900 ,6/2 की 0.253 ,7 ता 9 ,0.759 ,12 ता 14/0.759 ,15 ता 17/0.759 ,19 ,19/0.506 ,22 ता 25/1.0120हैक्ट कुल 20 किता की 4.8070हैक्ट प०न० 372/428(30) के किला न० 13 ता 18/1.265 ,24 ,25/0.506 ,प०न० 373/428(31) किला न० 11 ता 13/0.759हैक्ट , 14 ता 16/0.759 ,17 ता 19/0.759 ,21 ,22/0.759 ,23 ता 25/00.759हैक्ट कुल किता 15 की 3.795हैक्ट प०न० 374/428(32) के किला न० 21/0.253 ,प०न० 374/428(52) किला न० 1 ,2/0.506 , प०न० 372/429(54) किला न० 4 ,5/0.506 हैक्ट कुल किता 48 की कुल 11.8910हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा प्रातपसिह पुत्र हरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा प्रातपसिह पुत्र हरचन्द का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा प्रतापसिह पुत्र हरचन्द के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जाना भी स्वीकार किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 एन.टी.आर. के खाता संख्या 81/57 के प०न० 373/427(26) किला न० 2/2 की 0.177 ,3/1 की 0.1900 , 4/2 की 0.2020 ,5/1 की 1.900 ,6/2 की 0.253 ,7 ता 9 ,0.759 ,12 ता 14/0.759 ,15 ता 17/0.759 ,19 ,19/0.506 ,22 ता 25/1.0120हैक्ट कुल 20 किता की 4.8070हैक्ट प०न० 372/428(30) के किला न० 13 ता

उपखण्डाधिकारी (न्यायिक) कोटड़ा

18/1.265 ,24 ,25/0.506 ,प0न0 373/428(31) किला न0 11 ता 13/0.759हैक , 14 ता 16/0.759 ,17 ता 19/0.759 ,21 ,22/0.759 ,23 ता 25/00.759हैक कुल किता 15 की 3.795हैक प0न0 374/428(32) के किला न0 21/0.253 ,प0न0 374/428(52) किला न0 1 ,2/0.506 , प0न0 372/429(54) किला न0 4 ,5/0.506 हैक कुल किता 48 की कुल 11.8910हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाता में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा प्रतापसिह पुत्र हरचन्द के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतापसिह पुत्र हरचन्द के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,3 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है ।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 81/57 की कुल 11.8910हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/5 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 9/9/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. दिनेश कुमार पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जोगेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. राकेश कुमार पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. कमलेश पुत्री जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
4. सन्तोष देवी पुत्री जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
5. गुरमुखी पुत्री जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 303 सन 2019 निर्णय दिनांक– 09/09/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 81/57 की कुल 11.8910हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/5 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/9/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)